

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
(शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति)

आदेश

सं०सं०-शि०शु०नि०सं०-02/2017-

/स्वा०, पटना, दिनांक- / /2017

अपील (सिविल) सं०-5041/05 पी० ए० इनामदार एवं अन्य बनाम् महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक-12.08.2005 को पारित आदेश के आलोक में सी०ए० आशीष रोहतगी, 317, अशोका पैलेस, एकजीबिशन रोड, पटना को शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना में सदस्य नामित किया जाता है।

2- इसमें अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(आर० के० महाजन)

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-सचिव,
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, पटना

ज्ञापांक:- शि०शु०नि०सं०-02/2017- 13 /स्वा०, पटना, दिनांक-12/07/2017
प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सी०ए० आशीष रोहतगी, 317, अशोका पैलेस, एकजीबिशन रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-सचिव,
शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, पटना